

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ जिला भीलवाड़ा (राज0)

क्रमांक / राज0 / प्र0सं0 / 264 / 2019

दिनांक 02/11/2020

प्रेषित,

तहसीलदार, माण्डलगढ

विषय :- पत्थरगढी करने बाबत।

उनवान

- 1 सांवरा पिता मांगीलाल भील निवासी काछोला तहसील माण्डलगढ।
- 2 धन्ना पिता मांगीलाल भील निवासी काछोला तहसील माण्डलगढ।
- 3 रमेश पिता मांगीलाल भील निवासी काछोला तहसील माण्डलगढ।

—प्रार्थीगण

बनाम


- 1 मोहन पिता देबी भील निवासी काछोला तहसील माण्डलगढ।
- 2 देवा पिता छोटू भील निवासी काछोला तहसील माण्डलगढ।
- 3 रामनाथ पिता नामालुम गुर्जर निवासी पदमपुरा तहसील जहाजपुर।
- 4 भैरू पिता नामालुम रेबारी निवासी पदमपुरा तहसील जहाजपुर।
- 5 मांगू पिता कालू अचारज निवासी काछोला तहसील माण्डलगढ।
- 6 भूमिधारी तहसीलदार माण्डलगढ जिला भीलवाड़ा।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानिक प्रकरण में आदेश होकर लेख है कि की ग्राम बागीद प.ह. धाकड़खेड़ी की सरहद में स्थित खाता संख्या की आराजी संख्या 61 रकबा 6 बीघा 16 बिस्वा, आराजी नम्बर 2644/8 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा, आराजी नम्बर 2968/8 रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा, आराजी नम्बर 3187/373 रकबा 3 बीघा किता 4 रकबा 16 बीघा 8 बिस्वा भूमि बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढी की जावें। प्रार्थी कमिश्नर फीस 500/- रूपये मौके पर वक्त पत्थरगढी अदा करें। मौके पर पत्थरगढी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावें तो सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें।

पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट 1 माह में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।

  
उत्साह चौधरी(आई.ए.एस.)  
उपखण्ड अधिकारी  
माण्डलगढ

